

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी

रतनी

विपक्षी

मोहनलाल

किस्म मुकदमा

वाह

पत्रावली संख्या

6512 सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>13/6/23 पत्रावली आज को पेश हुई। प्रकरण में पत्रावली के साथ राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 25/8/23 को पेश हो</p> <p>महायक कलेक्टर SDO मावली</p> <p>25/8/23 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. जवाब के लिये मौका चाहते हैं। अतः 18/9/23 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p> <p>18/9/23 प्रतिवादी/विपक्षी/रक्षा उपस्थित/पीठारसी अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 29/12/23 को पेश हो</p> <p>29/12/23 पत्रावली पेश वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रक्षा उपस्थित/पीठारसी अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 03/2/24 को पेश हो</p> <p>09/2/24 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते हैं। अतः 17/05/24 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p> <p>17/05/24 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते हैं। अतः 5/7/24 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p>



5/7/24  
वकुलम्य वादी / प्रतिवादी उप. 17 वा 18  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 24/3/25  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/7/24  
को पेश हो।

SDO मावली

23/9/24  
आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली  
ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....  
25/11/24 को पेश हो।

25/11/24  
पत्रावली पेश 5 वकील प्राथी/अपीलाण्ट/  
गतिवादी/विपक्षी/रैस्थां उपस्थित/पीठासीन  
अधिवक्ता महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग  
में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
नंक. 17/2/25 को पेश हो।

17/2/25  
वकुलम्य वादी / प्रतिवादी उप. 17 वा 18  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 24/3/25  
प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/3/25  
को पेश हो।

SDO मावली

24/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय  
वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय  
वादीगण को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। समय  
शॉय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण  
मय वादीगण अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता  
वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित रहने पर  
वादीगण का वह अहम लाजरी अहम फैसी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
शुमार लेकर नम्बर से कम हों।  
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



राज्य सरकार  
(S.D.O.) मावली